12/A

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

निगरानी संख्या– 52/17 तारीख रज्जू– 04/09/17

बंशीलाल पुत्र कामड़या जाति खटीक निवासी ग्राम कुस्तला तहसील सवाई माधोपुर।

योगेन्द्र पुत्र बंशीलाल जाति खटीक निवासी ग्राम कुस्तला तहसील सवाई माधोपुर।

निगरानी गुजार

बनाम

लड्डूलाल पुत्र रामकुवांर जाति कुम्हार निवासी कुस्तला तहसील सवाई माधोपुर।

सरपंच ग्राम पंचायत कुस्तला तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

सचिव ग्राम पंचायत कुश्तला तहसील व जिला सवाई माधोपुर। –अप्रार्थी

निर्णय दिनांक– 5.4.19

प्रार्थीगण ने यह निगरानी प्रार्थनापत्र ग्राम पंचायत कुस्तला द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के हक में जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 21/06/1989 के विरूद्ध प्रस्तुत किया है, साथ ही ग्राम पंचायत कुश्तला द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के हक में जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 21/06/1983 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

निगरानी प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से स्थानान्तरण होकर वास्ते रिकोर्ड तलबी न्यायालय हाजा में प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा ग्राम पंचायत द्वारा विक्रय विलेख ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होने तथा पत्रावली भिजवाने में असमर्थता जाहिर करने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील निगरानीगुजार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का हवाल देते हुए बहस में निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत की रिपोर्ट के अनुसार मूल पट्टा पंचायत में नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा पट्टा मा0 सिविल कोर्ट में पेश किया। जिसकी जानकारी प्राप्त होते हुए हमारे द्वारा निगरानी पेश कर दी गई है। जब मूल पट्टा ग्राम पंचायत में ही उपलब्ध नहीं है तो उक्त पट्टा फर्जी है।जिसे निरस्त किया जावें, साथ ही वकील निगरानीगुजार ने ग्राम पंचायत कुश्तला द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के हक में जारी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

13/A

आबादी भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 21/06/1983 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त पट्टे के सम्बन्ध में मा0 सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है तथा उक्त वाद–आरजीयात पर अप्रार्थी सं0 1 का ही कब्जा काश्त है। निगरानीगुजार द्वारा उक्त पट्टे की जानकारी प्राप्त होने पर लगभग 4 वर्ष पश्चात् निगरानी पेश की है। जबकि निगरानी की 90 दिन की मियाद होती है। निगरानीगुजार द्वारा उक्त निगरानी पेश करने का कारण कब्जा बताया है। जबकि मा0 सिविल न्यायालय द्वारा स्थायी निषेघाज्ञा में अप्रार्थी सं0 1 का कब्जा माना है, साथ ही वकील अप्राथीगण ने ग्राम पंचायत कुश्तला द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के हक में जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 21/06/1983 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि उक्त पट्टा विलेख के संबंध में मा0 सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है। परिणामतयः अप्रार्थी सं0 1 लड्डूलाल के हक में जारी पट्टा विलेख के सबंध में विवेचित करने पर माननीय सिविल न्यायालय में लम्बित वाद के गुणावगुण प्रभावित होते है। परिणाम स्वरूप हमारे विनम्र अभिमत में सिविल न्यायालय में नम्बरी वाद जैरकार होने के फलस्वरूप मैजूदा निगरानी चलने योग्य नहीं होने के कारण निरस्त किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है तथा अप्रार्थी सं0 1 के हक में जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 21/06/1983 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 5.4.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अति0जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर